

2020-2021

समझौता ज्ञापन (MOU)

Memorendum of understanding

1. **पक्ष (Agency) :-** यह समझौता ज्ञापन (Memorendum of understanding) जो कि बाद में MOU के रूप में सर्वविदित होगा इसमें आज दिनांक 12/07/21 दिवस से प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन पता गौशाला परिसर, महाराष्ट्र मंगलम् भवन के बाजू में जेवरा-सिरसा रोड आर्य नगर, कोहका, मिलाई (छ0ग0) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम - 1973 (क्रमांक-44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रेशन क्रमांक - 12220205870 दिनांक 03/02/2020 को पंजीकृत है। तथा द्वितीय पक्ष (Second Agency) दिल्ली महिला महाविद्यालय पता... है।

2. **उद्देश्य (Purpose) "स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है" :-**

(क) **स्वास्थ्य :-** नियमित योगाभ्यास द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कराना, उन्हें शारीरिक (Physical), मानसिक (Mental), बौद्धिक (Intellectual), आध्यात्मिक (Devotional) रूप से सुदृढ़ बनाना, शरीर-मन (Body-Mind) को नियंत्रित करना। योग एवं प्राणायाम के नियमित अभ्यास से नकारात्मक विचारों (Negetive Thinking) को समाप्त कर सकारात्मक विचारों (Positive Thinking) का प्रवाह सृजन करना।

(ख) **शिक्षा (Education) :-** नियमित योगाभ्यास द्वारा विद्यार्थियों के एकाग्रता क्षमता (Concentration Ability) में वृद्धि करना, जिससे उनके बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके। याददाश्त शक्ति (Memory Power) को चिर स्थायी बनाने हेतु प्रेरित करना, स्वस्थ व पौष्टिक आहार चर्या (Food Habbit) व आदर्श जीवन चर्या (Idel Life Style) हेतु विद्यार्थियों को संकल्पित कराना।

(ग) **नशामुक्ति (Deaddiction) :-** नियमित योगाभ्यास द्वारा देश व समाज में व्याप्त नशा का उन्मूलन किया जा सकता है, छात्रों को नशा के हानिकारक परिणाम बताना व योग से कैसे नशा मुक्त हो इसका अभ्यास कराना, जिससे एक स्वस्थ व नशा मुक्त समाज का निर्माण कराया जा सके।

(घ) **योगशिक्षा का भविष्य एवं सम्भावनाएँ (Future and Possibilities of Yoga Eduacation) :-**

1. विद्यार्थियों, युवाओं एवं जन सामान्य हेतु निश्चित समय सीमा (150 घंटे) का योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।

2. अन्तराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के प्रोटोकॉल योगाम्यास का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।

3. देश व अन्य देशों में स्थित योग के विभिन्न पाठ्यक्रम की जानकारी देना तथा राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर योग की मांग व रोजगार के अवसर हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।

(3) समय सीमा (Term of MOU) :- इस समझौता ज्ञापन (MOU) की निश्चित समय सीमा दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा जिस दिन व जिस समय ज्ञापन पर समस्त गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर होंगे उसी समय से यह मान्य व प्रभावित होगा।

(4) पक्षों के उत्तरदायित्व (Responsibilities of Agencies) :- दोनों पक्षों के द्वारा समझौता ज्ञापन (MOU) के अनुसार अपने-अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन निश्चित समय सीमा पर पूर्ण करना तथा प्रथम पक्ष द्वारा दी गयी सेवाओं के अनुरूप उन्हें द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित राशी व वांछनीय लाभ प्रदान करना।

(5) सामान्य प्रावधान (General Provisions) :-

(क) संशोधन (Amendment) यदि दोनों पक्षों को इस समझौता ज्ञापन (MOU) में कमी भी भविष्य में कोई परिवर्तन, सुधार या संशोधन करना आवश्यक हो तो दोनों पक्षों की आपसी सहमती से इसे सुधार किया जा सकता है तथा पुनः दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर कर इसे मान्य किया जा सकता है।

(ख) लागू होने योग्य कानून (Applicable Law) :- इस समझौता ज्ञापन (MOU) के सभी विधान (Construction) सभी व्याख्या (Interpretation) व सभी संपादन (Inforcement) का अधिकार राज्य छोगो के न्यायालय के अधीन होगा।

(ग) समझौता की समग्रता (Entirety of Agreement) :- इस समझौता ज्ञापन (MOU) की सम्पूर्णता कुल पेज संख्या है, जिसमें सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण (Presentation) व प्रावधान (Provision) निहित है, जो कि दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत व प्रभावी रूप से मान्य है।

(घ) पृथक्करण (Seperbility) :- यदि भविष्य में इस समझौता ज्ञापन (MOU) के किसी भाग पर न्यायीक (Judicially) रूप से असहमती बनती है या कोई भाग अनुचित सिद्ध होती है तो उस भाग को छोड़कर अन्य सभी भाग पूर्ववत रहेंगे तथा कार्य निष्पादन जारी रहेगा।

(ङ.) तृतीय पक्ष की भूमिका (Rights of Third Party) :- उक्त समझौता ज्ञापन (MOU) में जिन दो पक्षों के मध्य करार हुआ है उन दो पक्षों के अलावा किसी तीसरे पक्ष की कोई

भूमिका या अधिकार इस समझौता ज्ञापन (MOU) पर नहीं होगा तथा जिन दो पक्षों द्वारा यह ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है केवल उन्हीं दो पक्षों की ही सम्पूर्ण जवाबदेही व अधिकार होंगे।

(6) हस्ताक्षर (Signature)

:- यह समझौता ज्ञापन (MOU) दोनों पक्षों के गवाहों के मध्य अधीकृत प्रतिनिधियों के द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर समझ कर अपनी सहमती प्रदान करते हुए आज दिनांक 12/07/21 समय दोपहर 3 बजे स्थान भिलाई माहिला महाविद्यालय पर हस्ताक्षर किया जा रहा है, जिससे यह समझौता ज्ञापन मविष्य में दोनों पक्षों के कार्यों में सहायक सिद्ध हो, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर पश्चात् यह समझौता ज्ञापन (MOU) तत्काल मान्य व क्रियाशील होगा।

(7) श्री वर्ष में प्रशिक्षण हेतु सहयोग राशि 11000/- देय था परंतु इस वर्ष IYA के
Foundation course के 4089 हेतु 2500/- की राशि शामिल किया जा रहा है, जिसे
प्रति क्षत्र 1350/- प्रदान करना होगा। यह सहयोग राशि कृतीसगढ़ योग
प्रथम पक्ष (First Agency) :- को देय होगी।

- 1. नाम - छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन
- 2. पता - गौशाला परिसर, महाराष्ट्र मंगलम् भवन के बाजू में जेवरा-सिरसा रोड आर्य नगर, कोहका, भिलाई(छ0ग0)
- 3. गवाह :- (क) ज्ञान्त झाली
(ख)
(ग)
(घ)
(ड.)

[Signature]
छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन (छ.ग.)
रजि. नं. 12220205870

द्वितीय पक्ष (Second Agency)

- 1. नाम Dr. Sandhya Madan Mohan
- 2. पता Principal, Bhilai Mahila Mahavidyalaya, Sector - IX, Bhilai
- 3. गवाह :- (क) R.K. Sharma
(ख) Dr. M.S. Pandit HOD (B.Ed Deptt)
(ग)
(घ)
(ड.)

